<u>महत्वपूर्ण सूचना</u>
<u>केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)</u>
<u>विज्ञापन संख्या–02/2012</u>

केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2012 में बिहार अग्निशाम सेवा (Bihar Fire Service) के अग्निक (Fireman) पद की वर्तमान रिक्तियों (953) के विरूद्ध जारी की गई विज्ञापन संख्या 02/2012 के क्रम में दिनांक 15.12.2013 (रविवार) को अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाईम 09:00 बजे पूर्वाहन है।

अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Admit Card) डाक द्वारा नवम्बर 2013 के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में भेज दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को अब तक डाक से भेजा गया प्रवेश–पत्र प्राप्त नहीं हुआ हो, उन्हें सूचित किया जाता है कि **वे चयन पर्षद की website <u>www.csbc.bih.nic.in</u> पर सवह पद कर, अपने आवेदन–पत्र की संख्या प्रविष्ट कर डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र download कर, Print कर लें।** ऐसे अभ्यर्थी डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मूल प्रवेश–पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वेब साईट <u>www.csbc.bih.nic.in</u> से डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र Print करना सबसे सुविधाजनक तरीका है, जिसका उपयोग सभी अभ्यर्थी आसानी से कर सकते हैं।

विशेष परिस्थिति में, कुछ अभ्यर्थी जो किसी कारणवश वेब साईट से डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र download नहीं कर सके हैं, उनकी सुविधा के लिए दिनांक–12.12.2013 से 14.12.2013 तक केन्द्रीय चयन पर्षद के बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हॉल्ट के निकट), पटना–800 001 स्थित कार्यालय से डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की गयी है। **<u>ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र की छायाप्रति, पावती रसीद एवं एक वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र के साथ उक्त अवधि में चयन पर्षद के उपरोक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर एक आवेदन–पत्र देंगे, जिसमें उनकी अग्निक (Fireman) पद पर भर्ती से संबंधित आवेदन–पत्र संख्या (Application Form Number) का उल्लेख होगा, तभी पूर्ण पहचान के उपरांत ही उन्हें डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र निर्गत किया जायेगा ।</u>**

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने प्रवेश–पत्र को वे परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद के चरणों में चयन पर्षद द्वारा इसकी मांग की जायेगी।

जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र पर किसी कारणवश फोटो न हो अथवा अस्पष्ट/धुंधली फोटो हा, वे परीक्षा के समय अपनी दो फोटो तथा एक वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र वीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें।

सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ एक वैध फोटो पहचान–पत्र (जैसे– मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि) रखना अनिवार्य है, जिसे वीक्षक द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जायेगा।

पररूपधारण (Impersonation), किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाना, स्वयं फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देना, परीक्षा में कदाचार, धोखाधड़ी, आदि आई.पी.सी. की धारा – 419, 468 तथा 471 के तहत दण्डनीय है, जिसमें 7 वर्ष की सजा एवं गिरफ्तारी अथवा अर्थ दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है। परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार करते हुए पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981, के अंतर्गत भी उचित कार्रवाई की जायेगी।

(सचिव)
केन्द्रीय चयन पर्षद, बिहार, पटना।